

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

03 अक्टूबर
लखनऊ: दिनांक: सितम्बर, 2024

विषय: प्रदेश के 48 जनपदों में कुल 4800 होमगार्ड्स को आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रदान किये जाने एवं होमगार्ड्स हेतु प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री, आई०कार्ड, प्रमाणपत्र हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-736/पी०सी०टी०/प्रशि०-आपदा मित्र/2024-25, दिनांक 09.09.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 4800 होमगार्ड्स आपदा मित्र प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि रुपये 14,16,00,000/- (रुपये चौदह करोड़ सोलह लाख मात्र) के सापेक्ष समर्पित की गई धनराशि रुपये 6,73,55,992/- को वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से पुनः स्वीकृत/आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत वित्तीय वर्ष में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 18-09-2023 में प्राप्त पूर्वानुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 48 जनपदों में कुल 4800 होमगार्ड्स को आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रदान किये जाने एवं होमगार्ड्स हेतु प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री, आई०कार्ड, प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि रु० 6,48,09,600/- (छः करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार छः सौ) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-
नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का होगा।

- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 6,48,09,600/- (छः करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार छः सौ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,
Ram Kewal
Date: 01-10-2024 18:04:54
(राम केवल)
विशेष सचिव

संख्या:-1571(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-04/10/2024

प्रेषण संख्या:- 1571
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1571
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	64809600 757406112	64809600 757406112
	योग	वर्तमान प्रगामी	64809600 757406112	64809600 757406112

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार छः सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पचहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख छः हजार एक सौ बारह


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन